राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार"

-: न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), नागौर :-

बइजलास श्रीमती प्रतिष्ठा पिलानिया आर.ए.एस

राजस्व प्रार्थना पत्र 123/2011

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सुखराम पुत्र श्री तिलोकराम जाति जाट निवासी टांकला तहसील व जिला नागौर		1 भंवरलाल पुत्र तिलोकराम 2 ओमप्रकाश पुत्र तिलोकराम 3 नरसीराम पुत्र तिलोकराम जाति जाटान निवासीगण टांकला तह. व जिला नागौर

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज. टि एक्ट एवं आदेश 39 नियम 1व 2 सीपीसी.सप. धारा 151 सीपीसी

आदेश

दिनांक :– 04.07.2016

प्रार्थी की ओर से निम्न प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इश्तदुआ की कि :–

1 यह है कि उक्त उनवान का वाद माननीय अदालत हाजा मे पेश कर दिया है जो ठोस आधारो व ठोस दस्तावेजात पर होने से वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

2 यह है कि प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 के सयुक्त खातेदारी व संयुक्त कब्जा काश्त के पुश्तैनी खेताय ख. न. 756/928 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा , ख.न. 759 रकबा 18 बीघा 11 बिस्वा व ख. न. 816 रकबा 13 बीघा 11 बिस्वा , ख.न. 817 रकबा 18 बीघा 15 बिश्वा व ख.न. 818 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा कुल खेत 5 कुल रकबा 59 बीघा 9 विस्वा वाके मौजा टांकला मे स्थित है इसकी पुष्टि मे वादपत्र के साथ चालु खतोनी पेश है।

3 यह है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 के बीच में लिखित मे भौतिक बंटवारा नही हुआ परंतु प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण जब अलग अलग हुए तो रजाबंदी से उक्तखेतों का मौखिक रुप से बटवारा कर लिया एवं अपने अपने बंट मे रखे हुए भू भागो पर काश्त करराण भी शुरु कर दियां। वर्तमान में प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण निम्न प्रकार से कब्जाकाश्त कर रहे है :–

(अ) प्रार्थी के बंट में ख.न. 756/928 रकबा 6 बीघा ख.न. 759 रकबा 18 बीघा 11 बिस्वा में से 56/928 के चिपता ही उतरी हिस्सा 8 बीघा 9 बिस्वा बंट मे रखा गया है यानि 14 बीघा 9 बिस्वा पर प्रार्थी का वर्तमान मे उपरोक्त अनुसार कब्जा काश्त है।

(ब) कि अप्रार्थी सं 2 व 3 ने अपने संयुक्त बंट के ख.न.817,818 व 759 मे से 8 बीघा 5 बिस्वा बंट ने रखा गया है। उपरोक्तानुसार अप्रार्थी सं. 2 व 3 का कब्जाकाश्त है। इसी प्रकार अप्रार्थी स. 1 के ख. न. 816 पूरा का पूरा व ख.न. 759 में से 1 बीघा 17 बिस्वा जमीन पर काबिज काश्त है। परंतु उक्त खेतो का मौखिक बंटवारा होने से राजस्व रिकार्ड मे अगल दरागद नही हो सका। व अप्रार्थी स. 1 से 3 ने प्रार्थी को बंट मे दिए गए खेत ख.न. 759 मे से 8 बीघा 9 बिस्वा जमीन पर कब्जा काश्त करने मे रोक टोक करने लगे तो यह वाद बाबत बंटवारा पेश करना आवश्यक हुआ है। इसलिए प्रार्थी उक्त बंटवारा स्कीम के अनुसार बंटवारा कराने का अधिकारी है, अगर अप्रार्थीगण को उपरोक्त बंटवारा कराने का अधिकारी है, अगर अप्रार्थीगण को उपरोक्त बंटवारा स्कीम स्वीकार नही हो तो विकल्प मे प्रार्थी उपरोक्त तमाम खेतों का रिकार्ड खातेदार होने व उसका हर खेत में 1/4 हिस्सा निहित होने के कारण बाइमिटस एण्ड बाउण्डस के बंटवारा करवाने का अधिकारी है।

4 यह कि प्रार्थी वादग्रस्तखेतो का रिकार्डेड खातेदार है और सुविधा अनुसार उसका अप्रार्थी सं 1 से 3 का संयुक्त शामलाती कब्जाकाश्त है अगर प्रार्थी को उसके हिस्सो के खेतो में कब्जा काश्त नही करने दिया तो प्रार्थी के हितों पर भारी कुठाराघात होगा। प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है उसका कब्जाकाश्त हैं इसलिए

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर

प्रथम द्रष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। एवं उसके रिकार्डेड खातेदार व निरन्तर कब्जा काश्त होते हुए भी उसको उसके हिस्से की जमीन पर कब्जाकाश्त नही करने दिया तो उसको अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति किसी भी मुआवजा से नही हो पाएगी। तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी कि ही पक्ष मे है इसलिए प्रार्थी उपरोक्त वादग्रस्त खेताय मे अपने हिस्से तक अप्रार्थी स. 1 से 3 को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा के दखलंदाजी करने व कराने से रुकवाने का विधिवत अधिकारी होने से प्रथमदष्टया मामला, सुविधा क संतुलन व अपूर्णीयक्षति के तमाम बिंदु प्रार्थी के पक्ष में साबित हैं । और अप्रार्थीगण के विरुद्व स्थायी निषेधाज्ञा पारित किया जाना न्यायसंगत व विधि संगत है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर जवाब मय काउण्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इश्तदुआ की कि :–

1 यह है कि, प्रार्थी ने उपरोक्त अनवान का वाद न्यायालय हाजा में अवश्य पेश किया है मगर वाद में सत्य तथ्यो को छुपा कर असत्य तथ्य दर्ज करते हुए विधि विरूद्ध व मौके की स्थिति के विरूद्ध पेश किया होने से खारिज किये जाने योग्य है।

2 यह है कि, प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 2 अपूर्ण होने से अस्वीकार है। प्रार्थी ने इस अनुच्छेद में प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 की सम्पूर्ण पुश्तेनी भूमि का हवाला नही दिया है मात्र खसरा नम्बर 756/928 रकबा 6.00 बीघा, खसरा नम्बर 759 रकबा 18 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 816 रकबा 13 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 817 रकबा 18 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नम्बर 818 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा कुल पांच खेताय कुल रकबा 59 बीघा 9 बिस्वा मौजा टांकला का ही वर्णन किया है। जबकि खसरा नम्बर 756/1 रकबा 13 बीघा मोजा टांकला भी पक्षकारान का पुश्तेनी खेत रहा है जिसको प्रार्थी ने जानबूझ कर वाद में छुपाया है उक्त खेत प्रार्थी के नाम दर्ज होने का कारण यह रहा है कि सन 1989, 1990, 1991 में सरकार की योजना भी थी कि पुरूष नसबंदी वाले व्यक्ति को विद्युत कनेक्शन में प्राथमिकता दी जाती है लेकिन उसके नाम कृषि भूमि होनी चाहिए और उस समय प्रार्थी के पुरूष नसबंदी करवाई हुई थी तथा पक्षकारान का शामलाती परिवार था जिनका मुखिया पक्षकारान के पिता तिलोकराम थे, जिससे पक्षकारान के पिता तिलोकराम ने प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के संयुक्त रहते हुए उक्त खसरा नम्बर 756/1 रकबा 13 बीघा भूमि प्रार्थी के नाम मात्र कागजी बेचान विद्युत कनेक्शन लेने के लिए करवाया था जिसमें किसी प्रकार की प्रतिफल की राशि का लेन देन नही हुआ था और तत्पश्चात पक्षकारान के पिता तिलोकराम का सन 1994 में देहान्त हो गया उसके पश्चात पक्षकारान ने पुश्तेनी सम्पूर्ण भूमि का बंटवाडा कर लिया जिसमें उक्त खसरा नम्बर 756/1 रकबा 13 बीघा प्रार्थी के बंट में रखा था। लेकिन अब प्रार्थी की नियत खराब होने से उसके नाम हुई उक्त भूमि को अलग रखते हुए बकाया भूमि मे से 1/4 के हिसाब से और भूमि प्राप्त करना चाहता है जो कतई गलत व विधि विरूद्ध है प्रार्थी अपने इन गलत ईरादो में कभी सफल नही हो सकता। पक्षकारान के मध्य हुए वास्तविक बंटवाडा की स्कीम व अन्य महत्वपूर्ण तथा काउण्टर क्लेम में दर्ज किये जा रहे है जिसके अनुसार पक्षकारान अपने पिता के देहान्त के पश्चात से मौके पर काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है।

3 यह है कि, प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 3 जिसे प्रार्थी ने पुनः पैरा संख्या 2 ही लिखा है, में वादग्रस्त खेताय के बंटवाडा के संबंध में तथ्य अंकित किये है तथा बंटवाडा स्कीम उप पैरा अ,ब में बतायी है जो सरासर गलत है, मौके की स्थिति के विपरीत व पुश्तेनी खेत खसरा नम्बर 756/1 रकबा 13 बीघा को छोडते हुए दर्शायी गयी है जो गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी द्वारा बतायी बंटवाडा स्कीम अनुसार कभी भी पक्षकारान के मध्य मौखिक बंटवाडा नही हुआ न ही उक्त अनुसार कब्जा काश्त रहा न आज दिन है। सही बंटवाडा स्कीम काउण्टर क्लेम में दर्ज की जा रही है जिसके अनुसार पक्षकारान का मौके पर कब्जा काश्त रहता चला आ रहा है और उसी अनुसार डिक्री सादीर की जाना न्यायोचित है। इस अनुच्छेद के अन्य तथ्य भी असत्य होने से अस्वीकार है। वाद व प्रार्थना पत्र प्रार्थी बदयान्तीपूर्ण होने से खारिज किये जाने योग्य है।

4 यह है कि, प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 4 जिस प्रकार से कथन किया जा रहा है सम्पूर्ण सही नही होने से अस्वीकार है। पक्षकारान का संयुक्त कब्जा काश्त होने का तथ्य सरासर गलत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थीगण प्रार्थी के किसी भी हितों पर कोई कुठाराघात नही कर रहे है बल्कि कुठाराघात तो प्रार्थी की

सहायक कलेक्टर
(उप.मं.अ.) नागौर

नियत खराब होने से प्रार्थी अप्रार्थीगण पर कर रहा है इसी लिए सत्य तथ्यो को छुपाकर असत्य तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय को भ्रमित कर अपने पक्ष में डिक्री प्राप्त करना चाहता है और इसी बदयान्ती से सम्पूर्ण पुश्तेनी भूमि का हवाला नही दिया है प्रार्थी अपने इन गलत ईरादो में व असफल प्रयासो में कभी सफल नही हो सकता। प्रार्थी का अलग से बंट कब्जा काश्त है जिसमें अप्रार्थीगण ने कभी कोई दखल नही किया न करने का प्रश्न ही पैदा होता है सम्पूर्ण तथ्य प्रार्थी ने बनावटी व झूटे दर्ज किये है तथा संयुक्त परिवार के रहते उक्त विद्युत कनेक्शन हेतु प्रार्थी के नाम करवाई गयी 13 बीघा भूमि को अलग से हड़पते हुए शेष पुश्तेनी भूमि में बराबर 1/4 हिस्सा लेने की बदनियती से वाद व उक्त आवेदन पेश किया है जो सरासर गलत व विधि विरूद्ध है तथा प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष उपरोक्त तथ्यो, परिस्थितियों, मौके की स्थिति अनुसार व प्राप्त करने का अधिकारी नही है। न तो प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है न प्रार्थी को किसी प्रकार की क्षति होने की स्थिति है न ही सुविधा का संतुलन ही प्रार्थी के पक्ष में है। जो व्यक्ति न्यायालय में क्लीनहैड से नही आता है उसके पक्ष में उक्त बिन्दु होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है प्रार्थी न्यायालय में क्लीनहैड से नही आया है व वास्तविक/सत्य तथ्यो को छुपा कर असत्य तथ्यो पर आधारित वाद व आवेदन पेश किया है जो काबिल खारिज किये जाने के है।

काउण्टर प्रार्थना पत्र

1 यह है कि, अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 व प्रार्थी सगे भाई है जो स्व. तिलोकराम के वारीस/उतराधिकारीगण है जिनके पुश्तेनी खेताय खसरा नम्बर 756/928 रकबा 6.00 बीघा, खसरा नम्बर 759 रकबा 18 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 816 रकबा 13 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 817 रकबा 18 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नम्बर 818 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा व खसरा नम्बर 756/1 रकबा 13 बीघा कुल 6 खेताय कुल रकबा 72 बीघा 9 बिस्वा मौजा टांकला में स्थित रहते चले आये थे। राजस्व रेकार्ड की नकल पेश है।

2 यह है कि, चूंकि पक्षकारान का शामलाती परिवार था व पक्षकारान को विद्युत कनेक्शन की सख्त आवश्यकता थी और सन 1989, 1990, 1991 में सरकार की योजना थी कि पुरूष नसबंदी वाले व्यक्ति का विद्युत कनेक्शन में प्राथमिकता दी जाती है लेकिन उसके नाम कृषि भूमि होनी चाहिए और उस समय प्रार्थी के पुरूष नसबंदी करवाई हुई थी तथा पक्षकारान का शामलाती परिवार था जिनका मुखिया पक्षकारान के पिता तिलोकराम थे, जिससे पक्षकारान के पिता तिलोकराम ने प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के संयुक्त रहते हुए उक्त खसरा नम्बर 756/1 रकबा 13 बीघा भूमि प्रार्थी के नाम मात्र कागजी बेचान विद्युत कनेक्शन लेने के लिए करवाया था जिसमें किसी प्रकार की प्रतिफल की राशि का लेन देन नही हुआ था और तत्पश्चात पक्षकारान के पिता तिलोकराम का सन 1994 ने देहान्त हो गया।

बहस वकुलाय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने बहस वकुलाय ने अपने आवेदन पत्र एवं जवाब आवेदन पत्र के तथ्यो पर बल दिया एवं बहस सनायत की गई। वादग्रस्त खेताय खसरा नम्बर 756/928, 759 मौजा टांकला में भंवरलाल, ओमप्रकाश, सुखराम, नरसिंहराम पिसरान तिलोकराम, ईमुडी पत्नी स्व. तिलोकराम की सहखातेदारी में दर्ज है। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में निम्न तीन बिन्दुओ पर विश्लेषण होना आवश्यक है।

1. प्रथम दृष्टया मामला
2. सुविधा का संतुलन
3. अपूर्णीय क्षति होना

वादग्रस्त खेताय खसरा नम्बर 759/928 रकबा 6 बीघा एवं खसरा नम्बर 759 रकबा 18 बीघा 11 बिस्वा मौजा टांकला में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 सहखातेदार दर्ज है। जिसमें प्रत्येक का हिस्सा निहित रहता चला आया है। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 ने जरिये काउण्टर प्रार्थना पत्र मय जवाब प्रस्तुत कर वादग्रस्त खसरा नम्बर 756/1 रकबा 13 बीघा मौजा टांकला पर बेचान, गिरवी, हस्तान्तरण एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु प्रार्थी को रोका जाने की इश्तदुआ की है। पत्रावली में प्रस्तुत नकल खतौनी ग्राम टांकला संवत् 2063 से 2066 एवं संवत् 2067 से 2070 में खसरा नम्बर 756/1 प्रार्थी सुखराम की खातेदारी में दर्ज साबित है। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में

साबित होता है। वादग्रस्त खसरा नम्बर 756/928, 759 में प्रार्थी सहखातेदार दर्ज है एवं खसरा नम्बर 756/1 में प्रार्थी अकेला ही खातेदार दर्ज है। इस प्रकार सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

प्रार्थी के पक्ष अगर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होना की संभावना रहती है। उपरोक्त विवेचन अप्रार्थी संख्या 1 से 3 का जवाब काउण्टर क्लेम प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तथा प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खेत खसरा नम्बर 756/928 एवं खसरा नम्बर 759 रकबा 18 बीघा 11 बिस्वा मे से 8 बीघा 9 बिस्वा भूमि पर प्रार्थी के कब्जा काश्त एवं बंट में दखल दस्तांजी नही करने व न कराने से अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा वाद के निर्णय तक पाबन्द किया जाता है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर

आदेश दिनांक 04.07.2016 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर